



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 20487 वर्ष 2026

प्रियांशु एवं एक अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता : श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : श्री अमित राय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से वाद अपराध संख्या 86 वर्ष 2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 324(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना खतौली, जनपद मुज़फ्फरनगर के अंतर्गत उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे दिनांक 30.03.2026 से कारागार में निरुद्ध हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि चिकित्सक की राय के अनुसार घायल को आई चोटें जीवन के लिए घातक नहीं हैं, अतः भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के प्रावधान प्रथमदृष्टया आवेदकों के विरुद्ध लागू नहीं होते। अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई विलंब का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह निवेदन किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं। यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेंगे।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आवेदकों ने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. तदनुसार, यह आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक पियांशु एवं शशांक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो-दो सक्षम प्रतिभूतियाँ (जमानतदार) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदकगण उस अपराध के समान किसी अन्य अपराध का न तो स्वयं करेंगे और न ही उसमें किसी प्रकार की सहभागिता करेंगे, जिसके लिए वे अभियुक्त हैं अथवा जिसके लिए जाने का उन पर संदेह है।

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देंगे जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए।

(iii) आवेदकगण इस आशय का एक लिखित उपब्रम प्रस्तुत करेंगे कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वे स्थगन की मांग नहीं करेंगे। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। यदि पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदकगण जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उसके पश्चात भी वे निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदकगण निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे— (1) वाद के उद्घाटन के समय, (2) आरोप निर्धारण के समय, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351) के अंतर्गत उनके कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन अवसरों पर आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो वह इसे जमानत की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,)

जून 22, 2026

आशुतोष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"